भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 230

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2023/14 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

230. श्री सतीश चंद्र दूबे:
श्री बृज लाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर रेहड़ी-पटरी वालों जैसे असंगठित लघु उद्यमियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचितों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने, असुरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करने, गैर-वित्तपोषितों को वित्तपोषण प्रदान करने और असेवित तथा अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई), नामतः प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ किया था।

सरकार की वित्तीय समावेशन की पहल को गति प्रदान करने के लिए पीएमजेडीवाई को "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 14.08.2018 से आगे बढ़ाया गया था। इस योजना को (i) ओडी सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और (ii) रुपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने के संशोधनों के साथ और अधिक आकर्षक बनाया गया।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 24.11.2023 तक कुल 50.99 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं जिसमें कुल जमाराशि 2,10,214 करोड़ रुपए है, इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि पीएमजेडीवाई देश में बैंकिंग पैठ में वृद्धि करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सफल रहा है। उपर्युक्त में से 28.29 करोड़ (55.50%) महिला जन-धन खाताधारक हैं और लगभग 34.06 करोड़ (66.80%) पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

जन-धन खातों के खुलने से समाज के असंगठित वर्गों के बीच विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पहुंचाया जा सका है। दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार, कवरेज निम्नानुसार है:-

i. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)** के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए 18.58 करोड़ संचयी नामांकन किए गए हैं।

ii. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)** के अंतर्गत 2 लाख रुपए (मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता) और 1 लाख रुपए (स्थायी आंशिक विकलांगता) का एक-वर्ष का दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 41.16 करोड़ संचयी नामांकन किए गए हैं।

iii. **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)** के अंतर्गत पात्र अभिदाताओं को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए 5.95 करोड़ संचयी नामांकन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, "गैर-वित्तपोषितों को वित्तपोषण" प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने, विशेष रूप से असंगठित लघु उद्यमियों जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई ऋण-सम्बद्ध योजनाओं का कवरेज, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार है:-

i. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** के अंतर्गत, सूक्ष्म/लुघ व्यावसायिक इकाइयों को कृषि सम्बद्ध कार्यकलापों सहित आय सृजन करने वाले कार्यकलापों जैसे विनिर्माण, व्यापार, सेवा के लिए 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए (दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार) 26.12 लाख करोड़ रुपए के 44.46 करोड़ संचयी ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

ii. **स्टैंड अप इंडिया योजना (एसयूपीआई)** के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को (दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार) 46,892 करोड़ रुपए के 2.08 लाख संचयी ऋण स्वीकृत किए गए हैं ।

iii. **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि)** के अंतर्गत कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित 56.16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए न सिर्फ ऋण प्रदान करके बल्कि उनके संपूर्ण आर्थिक विकास के लिए (दिनांक 28.11.2023 की स्थिति के अनुसार) 9,705 करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त 73.85 लाख संचयी ऋण संवितरित किए गए।

iv. **पीएम विश्वकर्मा योजना** का शुभारंभ दिनांक 17.09.2023 को किया गया जिसका उद्देश्य 18 अभिचिह्नित कारोबार में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण की पहुंच, संपार्श्विक मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण, बाज़ार से जुड़ने में सहायता और डिजिटल लेनदेनों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करके संपूर्ण सहायता देना है।

******